

प्रपत्र — 17

परियोजना का नाम:— नगरासू पेयजल योजना

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0/-

अध्यक्ष/प्रमुख
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
रूढ़िपुराग


वन क्षेत्राधिकारी
रूढ़िपुराग


उप-निर्देशक
प्रमाणित वृक्ष प्रभाग
रूढ़िपुराग


AE

प्रपत्र - 17.1

परियोजना का नाम:- नगरासू पेयजल योजना

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


उत्तराखण्ड संरक्षक
उत्तराखण्ड वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज

ह0/-
प्रयोक्ता जलपेक्षी
निर्माण श्रमिका
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
रूद्रप्रयाग

AE